न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
8/2024	10.1.2024	15/4/2025

सुरेश पुत्र प्रभाती, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. किल्ली पुत्र घीस्या, मेहतर नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
2/1.रघुवीर पुत्र किल्ली, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2/2.जगदीश पुत्र किल्ली, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2/3.विजेन्द्र पुत्र किल्ली, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2/4.संजय पुत्र किल्ली, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2/5.महेन्द्र पुत्र किल्ली, मेहतर नि0 खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी(मृतक)
2/5/1.मनीष पुत्र महेन्द्र, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2/5/2.रजनीश पुत्र महेन्द्र, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0गंगापुर सिटी
3. मीठ्या पुत्र हरिया, मेहतर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रंतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री श्याम बिहारी शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 ग्राम खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी के मूल निवासी हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि ख0नं0 237 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 238 रकबा 0.02 है0चाह, ख0नं0 246 रकबा 0.12 है0 एवं ख0नं0 247 रकबा 0.13 है0 कुल रकबा 0.57 है0 ग्राम खानपुरबडौदा में स्थित है। वादी को ऋण लेने की जरूरत पडने पर जमाबंदी निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि वादी सुरेश पुत्र प्रभारी के स्थान पर गलत रूप से रमेश पुत्र प्रभाती नाम दर्ज किया हुआ है जो संशोधन योग्य है एवं बतौर खातेदार काश्तकार 2 प्रभाती पुत्र प्रभाती गलत नाम दर्ज कर रखा है जो मन्सूखी योग्य है व सब खातेदारान का हिस्सा 1/6—1/6 भाग भी गलत कर रखा है जो हिस्सा वादी 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 के उत्तराधिकारियों का 124 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/2 दर्ज होना चाहिए था, जो जमाबंदी वर्ष 2049—52 खाता स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:19:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

155 से स्पष्ट है कि मीठ्या पुत्र हरिया हिस्सा 1/2, किल्ली पुत्र घीस्या व प्रभाती व रमेश पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/2 जाति भंगी निवासी खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है और इसी प्रकार नाम संशोधन करते हुए प्रार्थी वादी का हिस्सा कुल भूमि का 1/4 हिस्सा दर्ज होना आवश्यक है और इसी से व्यथित होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। हाल जमाबंदी ग्राम खानपुर बडौदा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के अलावा सहखातेदार किल्ली पुत्र घीस्या का देहावसान हो चुका है इसलिए उनके पुत्र रघुवीर, जगदीश, विजेन्द्र, महेन्द्र व संजय को प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/5 बनाया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 2/4 महेन्द्र पुत्र किल्ली की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनके वारिस पुत्र मनीष, रजनीश को प्रतिवादी संख्या 2/6 लगा0 2/7 बनाया गया है तथा द्वारा इनके विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही गई है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जाकर ख0नं0 237, 238, 246, 247 रकबा 0.57 है0 ग्राम खानपुरबडौदा की खातेदारी काश्तकार के नाम प्रभाती पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/6 मेहतर सा0 देह खातेदार प्रविष्टि को मन्सूख फरमाया जावे तथा हिस्सा 124 वादी एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि की जावे। राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि खातेदार रमेश पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/6 जाति मेहतर सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर सुरेश पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई व्यादेश से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी के हिस्से 124 भूमि ख0नं0 237, 238, 246, 247 रकबा 0.57 है0 में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किसी प्रकार का व्यवधान उसके उपयोग उपभोग में उत्पन्न नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.3.2024 द्वारा प्रतिवादी सं0 2/1 से 2/7, 3 को प्रोफोर्मा पक्षकार होने के कारण तलवी से मुक्त किया गया।

प्रस्तुत वाद में लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस जांच रिपोर्ट में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि ग्राम खानपुरबडौदा के खसरा संख्या 225 किता 4 रकबा 0.57 है0 भूमि किल्ली पुत्र घीस्या हि0 1/6 प्रभाती पुत्र प्रभाती 1/8, रमेश पुत्र प्रभाती हि0 1/6 [illegible] हि0 1/2 जाति मेहतर के नाम खातेदारी भूमि स्थित है। मीठ्या पुत्र हरिया हि0 1/2 जाति मेहतर का नाम व हिस्सा दोनों सही है किन्तु घीस्या के दो पुत्र थे।किल्ली व प्रभाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:19:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

5

पि0 घीस्या बरा0हि0 1/2, किल्ली पुत्र घीस्या हि0 1/4 में रहेगा एवं प्रभाती के दो पुत्र हैं जिनका नाम सुरेश व महेश पि0 प्रभाती है। इन दोनों का हि0 बरा0 हि0 1/4 रहेगा। प्रभाती पुत्र प्रभाती हि0 1/6 व रमेश पुत्र प्रभाती हि0 1/6 दोनों ही नाम गलत है। प्रभाती के दो पुत्र ही हैं जिनका नाम सुरेश व महेश पि0 प्रभाती है। प्रभाती पुत्र प्रभाती हि0 1/6 एवं रमेश पुत्र प्रभाती हि0 1/6 दोनों नामों के स्थान पर सुरेश पुत्र प्रभाती हि0 1/8 व महेश पुत्र प्रभाती हि0 1/8 शुद्ध किया जाना उचित है। किल्ली पुत्र घीस्या हि0 1/4 शुद्ध किया जाना उचित है। इस रिपोर्ट के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता सं0 225 ग्राम खानपुरबडौदा, नकल जमाबंदी सं0 2049 से 2052 खाता सं0 167 ग्राम खानपुरबडौदा, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, नकल नामान्तरकरण सं0 233 दिनांक 21.1.83, नकल जमाबंदी सं0 2028 से 2031 ग्राम खानपुर बडौदा, नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035, नकल जमाबंदी सं0 2049–2052 भिजवाए हैं।

तहसीलदार गंगापुर सिटी की इस रिपोर्ट के खण्डन में प्राथी सुरेश ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में प्रभाती के दो पुत्र सुरेश व महेश होना गलत अंकित किया है। प्रभाती के एक पुत्र सुरेश हुआ था, सुरेश के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मां की मृत्यु हो गई तो उसकी परवरिश के लिए उसके पिता प्रभाती ने अपनी बहन रामपती यानि प्रार्थी की बुआ को कुछ समय के लिए जयपुर भेज दिया था। प्रार्थी सुरेश को जयपुर भेजने के कुछ समय बाद पिता प्रभाती ने अपनी रोटी–पानी, सेवा के लिए एक औरत को रख लिया, उसके एक पुत्र था किन्तु मां की मृत्यु के करीब 4–5 साल बाद मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई तो वह औरत भी अपने बच्चे के साथ गांव छोडकर चली गई। तब से आज तक पिछले करीब 35–40 सालों से वादी सुरेश, उसके परिजन व गांव वालों ने उन दोनों के बारे में जीवित या मृत्यु के बारे में नहीं सुना ना ये पता है कि वे अब कहां है, ना ही इस बीच में उन्हें किसी प्रोग्राम, शादी या किसी कार्यक्रम में देखा गया है। पुराना साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 108 व नवीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा [illegible] यह स्पष्ट अंकित है कि किसी व्यक्ति के बारे में विगत 7 वर्षों में उसके [illegible] होने के बारे में यदि सुना या देखा नहीं गया है तो उसके [illegible] विपरीत कयास ही लगाया जायेगा ऐसी स्थिति में प्रार्थी सुरेश ही प्रभाती का एकमात्र उत्तराधिकारी है। अतः वादी स्व0 प्रभाती का एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी है इसलिए राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:19:51 IST
Reason: Attested

खण्ड अधिकारी
पुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रिकार्ड में प्रभाती पुत्र प्रभाती हि0 1/6 एवं रमेश पुत्र प्रभाती हि0 1/6 नामों के स्थान पर सुरेश पुत्र प्रभाती हि0 1/4 संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 225 ग्राम खानपुरबडौदा प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 खाता संख्या 194 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2049 से 2052 खाता सं0 167 ग्राम खानपुरबडौदा प्रदर्श–3 प्रस्तुत की है एवं वादी सुरेश के बयान पी0 डब्लू0–1 कराए हैं।

बहस विद्धान अभिभाषक वादी सुनी गई। वादी के विद्धान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे किल्ली हिस्सा 1/6, प्रभाती हि0 1/6, मीठ्या हि0 1/2, रमेश हि0 1/6 के नाम दर्ज है जबकि इसमे 1/4 हिस्सा वादी का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसों का दर्ज होना चाहिए था। साथ ही वर्तमान मे जो प्रविष्ठिया है वो निरस्त होकर 1/4 हिस्सा वादी का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसों का व 1/2 हिस्सा मीठ्या पुत्र हरिया का दर्ज किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 225 ग्राम खानपुरबडौदा प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि ख0नं0 237 रकबा 0.30 है0, ख0 नं0 238 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 247 रकबा 0.13 है0 किल्ली पुत्र घीस्या हिस्सा 1/6, प्रभाती पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/6, मीठया पुत्र हरिया हिस्सा 1/2 व रमेश पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/6 की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 ग्राम खानपुरबडौदा खाता संख्या 194 प्रदर्श–2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मीठया पुत्र हरिया 1/2 किल्ली पुत्र घीस्या मु0 प्रभाती रमेश पुत्र प्रभाती 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सं0 2049 से 2052 प्रदर्श–3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी मीठया पुत्र हरिया 1/2 किल्ली पुत्र घीस्या मु0 प्रभाती रमेश पुत्र प्रभाती 1/2 के नाम दर्ज है। पटवार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि मीठया पुत्र हरिया हि0 1/2 जाति मेहतर का नाम व हिस्सा दोनो सही है किन्तु घीस्या के दो पुत्र किल्ली व प्रभाती हुए हैं जिनका हिस्सा बराबर 1/2 में किल्ली पुत्र घीस्या हिस्सा 1/4 में रहेगा एवं प्रभाती के दो पुत्र जिनका नाम सुरेश व महेश है इन दोनों का हिस्सा बराबर हिस्सा 1/4 रहेगा। प्रभाती पुत्र प्रभाती हि01/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.21 11:10:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

व रमेश पुत्र प्रभाती हि0 1/6 दोनों नामों के स्थान पर सुरेश पुत्र प्रभाती हि0 1/8 व महेश पुत्र प्रभाती हि0 1/8 शुद्ध किया जाना उचित है। व किल्ली पुत्र धीस्या हि0 1/4 शुद्ध किया जाना उचित है।

हालांकि वादी ने स्वयं को स्व0 प्रभाती का एकमात्र उत्तराधिकारी होना बताया है एवं यह भी बताया है कि महेश को गलत रूप से स्व0 प्रभाती का पुत्र होना गलत दर्ज किया है क्योंकि महेश विगत 35–40 वर्षो से कहां है इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 111 के अनुसार विगत 7 वर्षो में व्यक्ति के जीवित होने के बारे में यदि सुना या देखा नहीं गया है तो उसके विरूद्ध विपरीत कयास ही लगाया जावेगा। इस सम्बन्ध में हमारा मानना है कि किसी व्यक्ति के विगत 7 वर्षो से लापता या गुम होने के बारे में कार्यवाही सक्षम सिविल न्यायालय से करवाई जाकर वादी को स्वयं को स्व0 प्रभाती का एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए। वर्तमान स्तर पर वादी के कथन को उचित नहीं मानते हुए तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार ही वादी का वाद निर्णित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 237 रकबा 0.30 है0, ख0 नं0 238 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 247 रकबा 0.13 है0 स्थित ग्राम खानपुरबडौदा के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी सुरेश पुत्र प्रभाती को 1/8 हिस्से का, महेश पुत्र प्रभाती को 1/8 हिस्से का, किल्ली पुत्र धीस्या को 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी मीठ्या पुत्र हरिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 11:19:51 IST
Reason: SelfAttested